

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-307/17 श्र0सं0-
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

31

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर/जहानाबाद/अररिया/ वैशाली हाजीपुर/भोजपुर(आरा) ।

पटना, दिनांक:-

27-6-17

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-
26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- 26-
2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2954 दिनांक-23.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष- 2017-18 में 31 मार्च 2018 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1.	समस्तीपुर	03	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	300000/- (तीन लाख)	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर का ज्ञापांक-515, 516 एवं 517 दिनांक- 30.05.2017 के आलोक में (1) मृतक-स्व० वलीउर रहमान, आश्रित मुसरत जहाँ (पत्नी) ग्राम-बहादुरपुर, पो0+प्रखण्ड+थाना-समस्तीपुर, जिला-समस्तीपुर (2) मृतक-स्व० संजीत कुमार राय, आश्रित- चंदा देवी, (पत्नी) ग्राम+पो0- डुमरी, थाना-पटोरी, प्रखण्ड-मोहनपुर, जिला-समस्तीपुर (3) मृतक-स्व० विनोद यादव, आश्रित-रीना देवी (पत्नी), ग्राम-शाहपुर, बरांट, पो0-जलालपुर, थाना-पटोरी, प्रखण्ड-मोहनपुर, जिला-समस्तीपुर के भुगतान हेतु ।
2	जहानाबाद	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी जहानाबाद का पत्रांक-774 दिनांक-30.05.2017 के आलोक में मृतक-स्व० सुनील कुमार, आश्रित-श्री मुकेश कुमार(पुत्र) सा.+पोस्ट-मुरगाँव, थाना-हुलासगंज, जिला-जहानाबाद के भुगतान हेतु ।
3	अररिया	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, अररिया का पत्रांक-179, दिनांक-08.06.17 के आलोक में मृतक-स्व० अशोक, आश्रित-राजेन्द्र यादव (पिता) ग्रा0-नया पट्टी, बिस्तोरिया, थाना+प्रखण्ड-रानीगंज, जिला-अररिया के भुगतान हेतु ।
4	वैशाली हाजीपुर	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, वैशाली का पत्रांक-502, दिनांक-10.06.17 के आलोक में मृतक-स्व० रविन्द्र राय, आश्रित-मु. सुनीता देवी, (पत्नी) ग्रा0-रोहुआ, पो0-शाहपुर, थाना+प्रखण्ड-जन्दाहा, जिला-वैशाली के भुगतान हेतु ।

6

5	भोजपुर (आरा)	03	तदैव	300000/- (तीन लाख)	जिला पदाधिकारी, भोजपुर का पत्रांक-363, 364 एवं 365 दिनांक-10.06.17 के आलोक में (1) मृतक-स्व० शशिकान्त यादव उर्फ त्रिभुवन यादव, आश्रित-मु० हीरामुनी देवी, (पत्नी) ग्रा०-चारघाट, पो०-करजा, थाना-बिहियाँ प्रखण्ड-शाहपुर, जिला-भोजपुर (2) मृतक-स्व० मुन्ना महतो, आश्रित-मु० विन्दु देवी, (पत्नी) ग्रा०+पो०-नागरी, थाना+प्रखण्ड-चरपोखरी, जिला-भोजपुर (3) मृतक-स्व० महेन्द्र प्रताप सिंह, आश्रित-मु० संजु देवी (पत्नी) ग्रा०+पो०-कसाप, थाना+प्रखण्ड-उदवंतनगर, जिला- भोजपुर के भुगतान हेतु ।
	कुल	09		900000/-	

कुल आवंटित राशि रूपये 9,00,000/- (रूपये नौ लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत नियमानुसार जाँच पड़ताल कर उन्हीं मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैंक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि. दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
7. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-307/17 श्र०सं०- 31 पटना, दिनांक 27-6-17
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

31

पटना, दिनांक- 27-6-17

*स्पीड
पोस्ट

ज्ञापांक-6/एफ1-307/17 श्र0सं0-

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ प्रशाखा पदाधिकारी-01 को उनके गै.स.प्रे.सं.-194 (श्रम पक्ष) दिनांक-20.06.17 के आलोक में/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

27/06/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

31

पटना, दिनांक 27-6-17

ज्ञापांक: 6/एफ1-307/17 श्र0सं0-

प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/06/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।